न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 45 / 2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गरीबाराम पुत्र मांगीलाल पौत्र रूघाराम पडपोत्र रावताराम जाति जाट निवासी फिडोद तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1 कौशल्या पत्नी मांगीलाल 2 सुमित्रा पुत्री मांगीलाल 3 संतोष पुत्री मांगीलाल 4 भावना पुत्री मांगीलाल 5 रामजस पुत्री मांगीलाल 6 करणपाल पुत्र मांगीलाल 7 तपेन्द्र पुत्र मांगीलाल (मांगीलाल पुत्र रूघाराम पौत्र उमाराम के वारीसान) जातियान जाट निवासीगण फिडोद तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 8 भंवराई पत्नी मांगीलाल 9 कौशल्या पुत्री मांगीलाल 10 सुमित्रा पुत्री मांगीलाल 11 हडमानी पुत्री मांगीलाल (मांगीलाल पुत्र रूघाराम पौत्र रावतराम के वारीसान) 12 तहसीलदार मूण्डवा, जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 12 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 19.12.2022

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मुण्डवा द्वारा मौजा फिडोद के नामान्तरकरण सं. 2224 निर्णय दिनांक 14.05.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.09.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 11.10.2022 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 11 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे तथा रेस्पो. संख्या 12 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश नामान्तरकरण सं. 2224 व 2225 की फोटोप्रति, ग्राम फिडोद की जमाबंदी संवत् 2076 की फोटोप्रति–2, मांगीलाल पुत्र रूघाराम मृत्यु दिनांक 16.02.19 के मृत्यु प्रमाण की फोटोप्रति, मांगीलाल पुत्र रूघाराम मृत्यु दिनांक 25.02.2022 की फोटोप्रति, सिणगारी देवी के मृत्यु प्रमाण की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि विवादित नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं हो सकी थी, हाल ही में अपीलांट ने अपनी भूमियो का विभाजन करवाने हेतु खतौनी नकल दिनांक 29.09.22 को प्राप्त की तो पता चला कि उनकी खातेदारी के खेताय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 का नाम दर्ज हो रखा है जिस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय जाकर संबंधित नामान्तरकरण संख्या 2224 की नकल का आवेदन पेश किया जिस पर प्रमाणित प्रति दिनांक 29.09.2022 को प्राप्त की जिससे अपीलांट को प्रथम बार जानकारी हुई कि दोनो अपीलांट के पिता मांगीलाल व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 07 के पति व पिता मांगीलाल यानि दोनो मृतकगण मांगीलाल व उनके पिता रूघाराम के नाम एक समान होने के कारण सद्भावित भूल व लापरवाही के कारण उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है तक अपीलांट ने तहसीलदार से उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया तब तहसीलदार ने कहा कि समान नाम होने के कारण त्रुटि हो गयी है। जिसकी दुरूस्ती म्यूटेशन अपील करके करवानी पडेगी, ऐसी स्थिति में जानकारी से अन्दर मियाद उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व अपील पेश की गई, जिसे मियाद में शुमार की जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(I)– नामान्तरकरण जैर अपील कतई गलत, बिना विधिवत जांच किये व बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये जल्दबाजी में सरसरी तौर पर ही स्वीकृत किया होने से अपास्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

{2}(II)– नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करने से पूर्व यदि मृतक मांगीलाल पुत्र रूघाराम पौत्र रावताराम के वारीसान की सही जांच कर वारीस प्रमाण ग्राम पंचायत से लेकर उसके बाद नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता तो ऐसी त्रुटि कतई नहीं हो सकती थी। लेकिन इस प्रकार की विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना भ्रमित होते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया होने से निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

{2}(III)–नामान्तरकरण जैर अपील से संबंधित खसरान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 का या उनके पूर्वजो का कभी हक दखल नहीं रहा बल्कि शुरू से ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 08 से 11 व उनके पूर्वजो का कब्जा रहा व आज दिन अपीलांट व रेस्पो. संख्या 08 से 11 का लगातार बिना रोक टोक के कब्जा रहता चला आया है। ऐसी स्थिति में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के नाम स्वीकृत किया गया नामानतरकरण जैर अपील अपास्त/संशोधित कर अपीलांट व रेस्पो. संख्या 08 से 11 के नाम दर्ज करवाया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

{2}(IV)–गांव में मांगीलाल पुत्र रूघाराम नाम के दो व्यक्ति होने व दोनो के परिवार व खातेदारी की भूमियां अलग अलग होते हुए भी नाम समान होने के कारण उक्त त्रुटि हुई है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर अपील अपास्त/संशोधत कर अपीलांट व रेस्पो. संख्या 8 से 11 के नाम स्वीकृत करने के आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए कहा कि मांगीलाल पुत्र रूघाराम नाम के दो व्यक्ति होने व दोनो के परिवार व खातेदारी की भूमियां अलग अलग होते हुए भी नाम समान होने के कारण उक्त त्रुटि हुई।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मुण्डवा के मौजा फिडोद के नामान्तरकरण सं. 2224 दिनांक 14.05.2022 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण कार्यवाही से पूर्व संबंधित पक्षकारो की संपूर्ण जानकारी/जांच की जानी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार मुण्डवा के ग्राम फिडोद के नामान्तरकरण सं. 2224 आदेश दिनांक 14.05.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर